न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 14/2023 निर्णय दिनांक :–10.10.2023

उनवानी प्रार्थना पत्र :

सरकार जर्ये तहसीलदार (भू0 अ0) तहसील जला टोंक राज0 **–प्रार्थी–**

बनाम

1. लादी पत्नी स्व. दुर्गा जाति बलाई निवासी बड़ला
2. राजूलाल पुत्र स्व. दुर्गा जाति बलाई निवासी बड़ला
3. प्रधान पुत्र स्व. दुर्गा जाति बलाई निवासी बड़ला

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–
पेरोकार सरकार

इकबालिया जवाब
अप्रार्थी संख्या 3
एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ता 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आंवटी दुर्गालाल पुत्र चन्द्रा जाति बलाई को दिनांक 10.01.1983 को ग्राम बड़ला में खसरा नम्बर 257 मिन रकबा 2 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। जिसे गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड किया गया। उक्त आवंटित भूमि के भूप्रबन्ध बाद नये खसरा नम्बर 1869 रकबा 0.53 है0 दर्ज किया गया। ग्राम थांवला से नवीन ग्राम पृथक होने से ख. नं. 3762 रकबा 0.56 है0 से नये हाल ख. नं 3190 रकबा 0.56 है0 दर्ज किया गया। उक्त गैर खातेदार को ग्राम बड़ला खसरा नम्बर 1869 रकबा 0.53 है0 मे से रकबा 0.50 है0 रकबे के खातेदारी हक प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करने पर गैर खातेदारी से खातेदारी हक का नामान्तकरण दर्ज किया जाकर खातेदारी अधिकार दे दिया गया है। उक्त खातेदारी दिये जाने के बाद ख0न0 2318/1869 रकबा 0.03 किस्म बारानी प्रथम गैर खातेदार प्रधान राजूलाल पुत्र लादी पत्नी स्व. दुर्गा के नाम दर्ज रिकार्ड रह गया है जो कि भूप्रबन्ध द्वारा आंवटित भूमि के मुकाबले अधिक दर्ज कर दिये जाने से रहा है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आवेदन पत्र के चरण सं. 4 मे अंकित भूमि मे सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने उपस्थित होकर हस्ताक्षर आदेशिका पर लिखा कि कोई आपति नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नामान्तकरण पंजिका ग्राम थांवला के कॉलम संख्या 11 व 12, 14 में दुर्गा पुत्र रामचन्द्र कोम बलाई सा. देह गेर खातेदार आवंटन दिनांक 10.01.83 ख. नं. 257 रकबा 3 बीघा आवंटन आदेश श्रीमान एसीएम सा. टोंक आवंटन सूची कम संख्या 61 दिनाक 10.01.83 का उल्लेखन है। बाद भू–प्रबन्ध ख. नं. 257 रकबा 2 बीघा के नये ख. नं. 1869 रकबा 0.53 है0 बनाये गये। जबकि 2 बीघा का है0 मे परिवर्तन करने पर 0.50 है0 होते है अर्थात अप्रार्थीगण के खाते में 0.50 है0 के स्थान पर 0.53 है0 भूमि लगा दी गई, जो कि 0.03 है0 अधिक है। तहसीलदार देवली ने प. ह. मालेड़ा के प्रार्थना पत्र दिनांक 03.01.2023 पर ख. नं. 1869 के नये ख. नं. 2312/1869 रकबा 0.50 है0 व ख. नं. 2313/1869 रकबा 0.03 है0 बनाकर अप्रार्थीगण जो दुर्गा पुत्र रामचन्द्र के जायज कायम मुकामान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार है, को ख. नं. 2312/1869 रकबा 0.50 है0 के खातेदारी अधिकार दिये गये तथा ख. नं. 2313/1869 रकबा 0.06 है0 भूमि आवंटन से 0.03 है0 अधिक होने से, गैर खातेदारी के रूप में दर्ज की गई। अतः ख. नं. 2313/1869 रकबा 0.03 है0 भूमि को गैर खातेदारी से सिवायचक राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु तहसीलदार देवली ने न्यायालय में प्रार्थना पेश किया है। अप्रार्थी प्रधान ने प्रार्थना पत्र बाबत कोई आपति नहीं है, आदेशिका पर लिखा। अतः राजस्व दस्तावेजो का विवेचन करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आराजी ख. नं. 2313/1869 रकबा 0.03 है0 भूमि वाके ग्राम बडला तहसील देवली से गैर खातेदार अप्रार्थी का नाम विलोपित कर, इस भूमि को सिवायचक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने व नियमानुसार कब्जेराज लेने हेतु तहसीलदार देवली को अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली